vinetur

भारत के शराब निर्माता भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत थोक स्कॉच पर शुल्क को लेकर स्पष्टता चाहते हैं

सीमा शुल्क वर्गीकरण विवाद से आशंका है कि ब्लेंडिंग और बोतलबंदी के लिए आयात पर अब भी 150% शुल्क लग सकता है

मंगलवार, 10 नवंबर 2026



भारतीय शराब निर्माता इस बात पर औपचारिक स्पष्टता चाहते हैं कि स्थानीय ब्लेंडिंग और बोतलबंदी के लिए आयात की जाने वाली थोक स्कॉच व्हिस्की पर भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत घोषित कम शुल्क लागू होगा या नहीं। सीमा शुल्क वर्गीकरण को लेकर विवाद के बाद आशंका पैदा हुई है कि कुछ खेपों पर अब भी पुराना 150% शुल्क लग सकता है।

भारत के व्हिस्की उद्योग के उस हिस्से के लिए यह मुद्दा अहम हो गया है, जो स्कॉच का इस्तेमाल केवल तैयार आयातित पेय के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन में एक घटक के तौर पर करता है। कुछ कंपनियां प्रीमियम और मास-प्रेमियम श्रेणियों

में स्थानीय बोतलबंदी और भारतीय स्पिरिट के साथ ब्लेंडिंग के लिए थोक स्कॉच का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में शुल्क संबंधी फैसला आयातकों, बोतलबंद करने वाली कंपनियों और घरेलू निर्माताओं की लागत तथा मार्जिन को प्रभावित कर सकता है।

यह अनिश्चितता 15 जुलाई को भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के लागू होने के बाद सामने आई। समझौते के तहत, पात्र स्कॉच व्हिस्की आयात पर सीमा शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया गया, जिसे 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40% किया जाना है। Outlook Business के अनुसार, उत्पाद और मूल-स्थान संबंधी नियमों के अधीन, शुल्क संबंधी प्रतिबद्धताएं बोतलबंद और थोक—दोनों तरह के निर्यात पर लागू होती हैं।

विवाद इस बात पर केंद्रित है कि थोक स्कॉच की कुछ खेपों का सीमा शुल्क के लिए वर्गीकरण किस तरह किया जाना चाहिए। भारतीय कर अधिकारियों ने सवाल उठाया है कि क्या कुछ खेपों को शीर्षक 2208 के तहत व्हिस्की माना जाना चाहिए या पेय पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तैयारियों के रूप में शीर्षक 2106 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह अंतर अहम है, क्योंकि शीर्षक 2106 के तहत वर्गीकरण होने पर आयात पर व्यापार समझौते के तहत घटे हुए शुल्क के बजाय पहले वाला 150% शुल्क लग सकता है।

शराब उद्योग का तर्क है कि थोक स्कॉच व्हिस्की ही रहती है, चाहे उसे खुदरा बोतलों में आयात किया जाए या भारत में बाद में बोतलबंदी और ब्लेंडिंग के लिए बड़े कंटेनरों में। उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि यह मतभेद आयात की किसी विशिष्ट श्रेणी के बजाय एक स्थापित आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करता है।

Outlook Business की रिपोर्ट के अनुसार, कई भारतीय व्हिस्की निर्माता माल्ट और ग्रेन व्हिस्की के आधार के लिए स्कॉच का आयात करते हैं, जिसे खास स्वाद तैयार करने के लिए घरेलू स्पिरिट के साथ मिलाया जाता है। हर भारतीय व्हिस्की में आयातित स्कॉच का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुछ निर्माताओं के लिए यह उत्पादन का एक अहम हिस्सा है। Reuters द्वारा उद्धृत उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80% आयात मात्रा के लिहाज से थोक खेपों में होता है।

वर्गीकरण विवाद ने नियामकीय जांच का ध्यान भी खींचा है। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में Diageo, Pernod Ricard, Radico Khaitan और Allied Blenders समेत प्रमुख शराब कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई और अधिकारियों से पूछताछ हुई। हालांकि, इस जांच से इन कंपनियों की किसी गलत काम में संलिप्तता साबित नहीं होती।

सरकार ने उद्योग को आश्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन कंपनियां अब भी औपचारिक समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। Outlook Business के अनुसार, 2 नवंबर को वाणिज्य सचिव Rajesh Agrawal ने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि थोक स्कॉच पर शुल्क रियायतें बरकरार रहेंगी और HSN वर्गीकरण की अस्पष्टता दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएगा।

इस आश्वासन से कुछ तात्कालिक चिंता कम हुई है, लेकिन सीमा पर थोक खेपों के साथ सीमा शुल्क अधिकारी अंततः कैसा व्यवहार करेंगे, यह अब भी तय नहीं है। निर्माताओं के लिए यह अंतर महज तकनीकी नहीं है। आयात शुल्क सीधे माल की पहुंच लागत के आकलन, खरीद योजनाओं और मूल्य निर्धारण के फैसलों को प्रभावित करते हैं।

कंपनियों की उम्मीदों में इसका असर पहले से दिखाई देने लगा है। Outlook Business ने Mint का हवाला देते हुए बताया कि Allied Blenders and Distillers ने वित्त वर्ष 2027 के लिए कम शुल्क व्यवस्था से 70 आधार अंकों के लाभ का अनुमान लगाया है। United Spirits ने कहा कि उसे भी कुछ लाभ हुआ है, हालांकि उसने इसकी मात्रा नहीं बताई। Tilaknagar Industries ने कहा कि सितंबर तिमाही में उसे अभी तक लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसके पास पुराना माल अब भी मौजूद था।

अगर सीमा शुल्क अधिकारी पात्र बोतलबंद स्कॉच पर घटा हुआ शुल्क लागू रखते हुए थोक स्कॉच पर यह रियायत देने से

इनकार करते हैं, तो ब्लेंडिंग और स्थानीय बोतलबंदी के लिए स्पिरिट आयात करने वाले निर्माताओं की लागत बढ़ सकती है। इसका असर हर कंपनी पर अलग-अलग होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितना आयातित स्कॉच इस्तेमाल करती है और किन उत्पाद श्रेणियों में करती है। इससे भारत में मूल्यवर्धित विनिर्माण के लिए स्पिरिट आयात करने और तैयार प्रीमियम बोतलों के आयात के बीच संतुलन भी बदल सकता है।

शुल्क में बदलाव का असर उपभोक्ताओं तक भी पहुंचने लगा है, हालांकि यह असर एकसमान नहीं है और न ही इससे यह साबित होता है कि थोक आयात का मुद्दा सुलझ गया है। Outlook Business द्वारा उद्धृत PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली आबकारी विभाग ने ब्रिटिश शराब की संशोधित लागत लागू करना शुरू कर दिया है और कुछ प्रीमियम स्कॉच की कीमतें घटने की उम्मीद है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में ब्रिटेन-मूल के कई शराब ब्रांडों की कीमतें पहले ही लगभग 5% से 15% तक गिर चुकी हैं।

Outlook Business द्वारा उद्धृत उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्पष्ट परिभाषाएं जरूरी हैं, क्योंकि कच्चे ग्रेन और माल्ट, ब्लेंडिंग और बोतलबंदी के लिए इस्तेमाल होने वाली थोक स्कॉच तथा तैयार बोतलबंद स्कॉच के व्यावसायिक उद्देश्य अलग-अलग हैं। उनका तर्क है कि शुल्क का पूर्वानुमेय निर्धारण निर्माताओं को उत्पादन की योजना बनाने में मदद करेगा, निवेश को बढ़ावा देगा और भारतीय व्हिस्की ब्रांडों को नए उत्पाद विकसित करने का अधिक भरोसा देगा।

व्यापक पेय कारोबार के लिए यह मामला एक सीमा शुल्क कोड से कहीं आगे जाता है। इससे तय करने में मदद मिलेगी कि भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत दी गई बड़ी शुल्क रियायत स्कॉच डिस्टिलरियों, भारतीय आयातकों, स्थानीय बोतलबंदकर्ताओं और घरेलू व्हिस्की निर्माताओं को जोड़ने वाली आपूर्ति श्रृंखला में आसानी से लागू हो पाएगी या नहीं। जब तक वर्गीकरण पर औपचारिक फैसला नहीं होता, थोक स्कॉच पर निर्भर कंपनियां लागत को लेकर अनिश्चितता के दायरे में रहेंगी—और यह अनिश्चितता मूल्य निर्धारण, लाभप्रदता तथा उत्पाद रणनीति को प्रभावित कर सकती है।